

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून:दिनांक 20 अगस्त, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में एस.पी.ए.-आर के अंतर्गत चौमासी से रामबाड़ा ट्रैक मार्ग के जीर्णोद्धार कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुई बचत धनराशि को वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1457/16-2 देहरादून, दिनांक 23 जनवरी, 2018 के क्रम में वन एवं पर्यावरण विभाग की पत्रावली संख्या-12(36)/2014 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में विषयगत योजना हेतु शासनादेश संख्या-3160/XVIII-(2)/15-12(13)/2015, दिनांक 21 नवम्बर, 2015 के द्वारा चौमासी से रामबाड़ा ट्रैक मार्ग हेतु ₹ 142.26 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त कार्य ₹ 129.07 लाख में पूर्ण होने के उपरान्त ₹ 13.19 लाख की धनराशि विभाग के पास वन निक्षेप में जमा/अवशेष बतायी गयी है। उक्त बचत धनराशि ₹ 13.19 लाख में से केदारनाथ वन्य जीव विहार गोपेश्वर के चौमासी से रामबाड़ा वैकल्पिक मार्ग के जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन का टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹ 11.11 लाख (₹ ग्यारह लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि परियोजनाओं के सापेक्ष हो रही बचतों से किये जाने की अनुमति चांही गई है।

2- अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चौमासी से रामबाड़ा ट्रैक मार्ग हेतु ₹ 142.26 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, के सापेक्ष उक्त कार्य ₹ 129.07 लाख में पूर्ण होने के उपरान्त ₹ 13.19 लाख की धनराशि विभाग के पास वन निक्षेप में जमा/अवशेष बतायी गयी है। उक्त बचत धनराशि ₹ 13.19 लाख में से केदारनाथ वन्य जीव विहार गोपेश्वर के चौमासी से रामबाड़ा वैकल्पिक मार्ग के जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन का टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹ 11.11 लाख (₹ ग्यारह लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय किये जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.सं.-118 मतदेय/XXVII-(5)/2018, दिनांक 13 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव

संख्या-2110 (1) /XVIII-(2)/2018-12(13)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
8. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग-1 एवं 5, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(प्रदीप कुमार शुक्ल)

अनु सचिव